भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3585
जिसका उत्तर शुक्रवार, 21 मार्च, 2025 को दिया जाना है

राष्ट्रीय लोक अदालत

3585. श्री दुष्यंत सिंह :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय लोक अदालत पहल के प्रति जनता की प्रतिक्रिया का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या उक्त पहल का न्यायपालिका में लंबित मामलों की संख्या को कम करने पर काफी हद तक प्रभाव पड़ा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) लोक अदालत प्रणाली की दक्षता और पहुंच को और बढ़ाने के लिए जिन अतिरिक्त सुधारों पर विचार किया जा रहा है उनका ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : लोक अदालदतें न्यायालयों में लंबित मालमों की संख्या को कम करने के लिए और मुकदमापूर्व प्रक्रम पर विवादों का निपटान करने के लिए भी विधिक सेवा संस्थाओं द्वारा ऐसे अंतरालों पर आयोजित की जाती है जो वह ठीक समझती हैं, न्यायालयों पर बोझ को कम करने में वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) तंत्र की प्रभावी पद्धतियों में एक पद्धति है, जिसे जनता से सकारात्मक उत्तर मिला है । निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार, तीन प्रकार की अदालतें हैं अर्थात् राज्य लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत और स्थाई लोक अदालतः

i. राज्य लोक अदालते पूर्व मुकदमा और पश्च मुकदमा मामलों के निपटान के लिए स्थानीय दशाओं और आवश्यकताओं के अनुसार विधिक सेवा प्राधिकरणों/ शक्तियों द्वारा आयोजित की जाती हैं ।

(ii) राष्ट्रीय लोक अदालतें, एकल दिन को भारत के उच्चतम न्यायालय से लेकर तालुक न्यायालयों तक सभी न्यायालयों में मामलों (पूर्व मुकदमा और पश्च मुकदमा) के निपटान के लिए त्रैमासिक रुप से संचालित की जाती हैं । प्रत्येक वर्ष, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) राष्ट्रीय लोक अदालतों के लिए कैलेडर जारी करता हैं । वर्ष 2025 के दौरान, राष्ट्रीय लोक अदालत 8 मार्च, को आयोजित की गई थी । राष्ट्रीय लोक अदालतें आगे 10 मई, 13 सितंबर, 13 दिसम्बर, 2025 को आयोजित की जानी हैं ।

(iii) लोक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए अनिवार्य पूर्व-मुकदमा तंत्र प्रदान करने के लिए अधिकांश जिलों में स्थायी स्थापनों की स्थापना की गई है ।

(ख) : राष्ट्रीय और राज्य लोक अदालतें स्थायी स्थापन नहीं हैं और वे संबंधित न्यायालयों द्वारा इसे निर्दिष्ट किए गए अनुसार लंबित न्यायालय मामलों पर कार्रवाई करती हैं। क्योंकि ये लोक अदालतें स्थायी प्रकृति की नहीं है, इसलिए निपटान नहीं किए गए सभी मामलों को संबंधित न्यायालयों को वापस लौटा दिया जाता है और इस लिए वे इन लोक अदालतों के पास लंबित नहीं रहते हैं । गत दो वर्षों तथा चालू

वर्ष (दिसम्बर तक) के दौरान लोक अदालतों द्वारा निपटान किए गए मामलों की संख्या के ब्यौरे निम्नानुसार हैः-

(i) राष्ट्रीय लोक अदालत

वर्ष	निपटाए गए कुल मामले (मुकदमापूर्व और लंबित मामले दोनों)
2022	4,19,26,010
2023	8,53,42,217
2024	10,45,26,119

(ii) राज्य लोक अदालतः

वर्ष	निपटाए गए कुल मामले (मुकदमापूर्व और लंबित मामले दोनों)
2022-23	8,51,309
2023-24	12,07,103
2024-25	12,08,227

(iii) स्थायी लोक अदालत (लोक उपयोगिता सेवाएं)

वर्ष	निपटाए गए कुल मामले
2022-23	1,71,138
2023-24	2,32,763
2024-25	1,61,277

(ग) : लोक अदालतों की दक्षता और पहुंच में सुधार करने के लिए, ई-लोक अदालत को कोविड के दौरान वास्तविक रुप दिया गया था जिसने विशेष रुप से ऐसे लोगों के लिए न्याय तक पहुंच में सुधार किया जो लोक अदालतों में भाग लेने के लिए अन्यथा असमर्थ थे। पहली ई-लोक अदालत 27.06.2020 को आयोजित की गई थी और तभी से ई-लोक अदालतों 28 राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों में आयोजित की गई हैं जिनमें 10.30 करोड़ मामले को कार्यवाही के लिए लिया गया था जिनमें से 1.15 करोड़ मामलों का निपटान किया गया था।

****